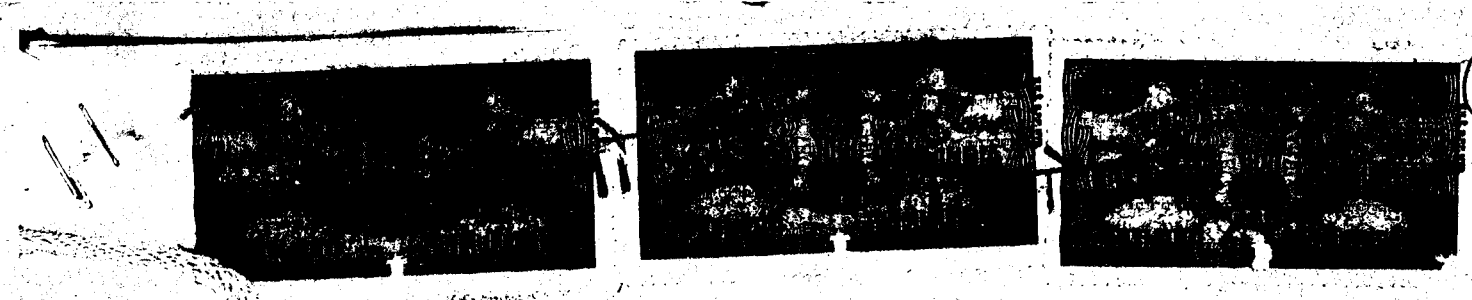

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क. / /2017 निगरानी R 1080-II/17

1– महाराजसिंह पुत्र श्री फेलूराम

2– श्रीनिवास सिंह रावत

3– रामनिवास रावत

4– गोटेसिंह रावत

5– दिनेश रावत पुत्रगण रामसिंह रावत

निवासीगण ग्राम लीलदा, तहसील वीरपुर, जिला श्योपुर म.प्र. .... आवेदकगण

श्री लखन सिंह धाकड़ अभि० द्वारा आज दि. 03/04/17 को प्रस्तुत

3-4-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1– मिश्री जाटव

2– गनेश

3– रामरतन

4– नारायण

5– लेखा

6– सुमित्रा

7– रामश्री पुत्र/पुत्रीगण श्यामा जाटव

निवासीगण ग्राम मोहनपुर, तहसील वीरपुर, जिला श्योपुर म.प्र.

.... आनावेदकगण

Lakhan Singh Dhakar
Advocate

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चंम्बल संभाग मुरैना के प्र.क. 74/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 22.03.17 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रषित है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1080–दो/17 जिला–श्योपुर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–04–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड उपस्थित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 74/2014–15/अपील में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 22.3.2017 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत बताया गया है कि आवेदकगण द्वारा एक आवेदनपत्र धारा–49 एवं 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जो अपर आयुक्त द्वारा अमान्य किया गया है जबकि अपीलीय न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर आवेदकगण दिया जाना चाहिये था। उनके द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि न तो उनको तहसीलदार न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और न ही प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया गया है। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि	

आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त न्यायालय में एक आवेदनपत्र धारा—49 एवं 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जो अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा अमान्य किया गया है। आवेदक द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी विजयपुर के आदेश की छाया प्रति अवलोकन से स्पष्ट कि आवेदक को साक्ष्य एवं कथनों का अवसर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण का आवेदन धारा—49 एवं 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है, और प्रकरण अंतिम तर्क हेतु पेशी दिनांक 2.5.17 नियत की गई है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है तथा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 74/2014—15/अपील में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 22.3.2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है।

सदस्य